न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 333/2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2024/535

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गंगाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी आर्दश चवा तहसील बाड़मेर		1.अमराराम पुत्र जोगाराम 2.ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम 3.दोलाराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुम्हारों का वास वार्ड नम्बर 04 पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी

:आदेश :

दिनांक–23/03/2026

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी आदर्श चवा तहसील बाड़मेर ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 181,195 व 204 मौजा पचपदरा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 सें 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 180 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मार्क ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण क नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल गहलोत द्वारा विप्रार्थी की तरफ से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। तहसीलदार पचपदरा से निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट तलब की गई,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया था,कि प्रार्थी के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 180 भूमि में से 20 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस थी कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है,क्योकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से कोई रास्ता अवस्थित ही नहीं है,तो रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नही है। इसके अलावा प्रार्थी आवागमन के लिए अपनी खातेदारी खसरा संख्या 195 मे आना जाना करता रहा है,जो कि निकटतम रासता है। उक्त रासता होने के उपरांत भी उक्त तथ्यों को छुपाते हुए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता चाहा गया है,जो कि देय नही है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 180 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :-

6. ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 180(3082/180) में आवागमन हेतु संलग्न नक्शा में दर्शित ए से बी भूमि निकटतम है,इसके

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से राजकीय मार्ग तक पहुचने का निकटवर्ती विकल्प विधमान नहीं है,उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम व प्रयुक्त होना बताया गया।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः-

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 181 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा नजदीक दूरी का रास्ता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

8.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 180(3082/180) में से ए से वी चिहिन्त भूमि कुल क्षेत्रफल 0.0293 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर की प्रति बीघा की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोप के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोश अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

:-आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति सावित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 181 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी खसरा संख्या 3082/180 में से कुल क्षेत्रफल 0.0293 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट में ए से वी दर्शित नक्शानुसार भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकारान को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार) 23/03/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

23/03/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा